MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri R. Girirajan: Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan, Shri M. Mohamed Abdulla and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Need to impose Uniform Civil Code in the country to maintain communal harmony

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है, परंतु मुस्लिम, ईसाई एवं अल्पसंख्यक समाज की 10 करोड़ से अधिक माताएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, जिनसे कुछ ज़ाहिल ताकतों ने इज्जत और सिर ऊँचा उठाकर चलने के अधिकार को छीन लिया है। ...(**व्यवधान**)...सवाल यह है कि आखिर उनका क्या अपराध है कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है? महोदय, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना एक जघन्य अपराध है। और संविधान की मूल अवधारणा का अतिक्रमण है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव : महोदय, समान नागरिक आचार संहिता का किसी पूजा-पद्धति या विवाह-पद्धति से कोई दूर-दूर का संबंध नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मनोज झा जी, प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव : इसका सीधा संबंध इंसानियत से है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, समान नागरिक संहिता लागू होने का मतलब है कि हिंदू बहन-बेटियों की तरह मुस्लिम, ईसाई आदि सभी वर्गों की बहन-बेटियों के लिए विरासत और वसीयत का अधिकार समान होगा; ...(**व्यवधान**)... निःसंतान पति-पत्नियों को अपनी वंश परंपरा आगे चलाने के लिए बच्चा गोद लेने का अधिकार समान होगा; हिंदुओं के समान सभी वर्गों के विवाह की उम्र एक समान होगी; ...(**व्यवधान**)... विवाह-विच्छेद का तरीका और आधार एक समान होगा; ...(**व्यवधान**)... विवाह-विच्छेद होने पर किसी बहन-बेटी के दर-दर भटकने के बजाय हिंदुओं की भाँति गुजारे-भत्ते और भरण-पोषण का आधार एक समान होगा, ...(**व्यवधान**)... मतलब हिंदुओं के समान एक पति, एक पत्नी, एक विवाह का अधिकार एक समान होगा; ...(**व्यवधान**)... हिंदुओं की भाँति पैतृक संपत्ति में पुत्र-पुत्री, बेटा-बहू को समान अधिकार होगा ...(**व्यवधान**)... और विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति में पति-पत्नी को समान अधिकार प्राप्त होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव: महोदय, चिंतन का विषय यह है कि सभी महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देने से किसी मजहब को खतरा कैसे पैदा हो जाएगा, उसकी पवित्रता कैसे नष्ट हो जाएगी? ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक ...(**व्यवधान**)... स्तंभ स्थापित किए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ बैठिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यगण, प्लीज़ बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादव: इस यात्रा में नारी शक्ति वंदन कानून का निर्माण और तीन तलाक प्रथा की समाप्ति आगे चल कर मील का पत्थर साबित होंगी। ...(**व्यवधान**)... महोदय, आज आवश्यकता है कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि 10 करोड़ बहन-बेटियों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए, जो मानवीय गरिमा को स्थापित करती हो, उसकी सुरक्षा करती हो तथा एक सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरती हो। ...(**व्यवधान**)...

अतः मैं सामाजिक एकता, साम्प्रदायिक एकता और पारस्परिक सौहार्द को स्थापित करने के लिए सरकार से समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू करने की माँग करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Harnath Singh Yadav: Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Sadanand Shet Tanawde (Goa).

माननीय सदस्यगण, प्लीज़। आपने सही कहा, मैं सारे सदस्यों से आरम्भ में यह निवेदन कर चुका हूँ कि you are not supposed to read, you are supposed to speak, पर सारे सदस्य लगभग इसी रास्ते पर हैं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, नहीं। माननीया सुश्री इंदु बाला गोस्वामी।

Demand for stoppage of Vande Bharat train nos. 22439/22440 at Pathankot Railway Station

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष वंदे भारत ट्रेन संख्या 22439/22440 के पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव के संबंध में निवेदन करना चाहती हूँ। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा आते और कटरा से दिल्ली जाते हुए पठानकोट से गुजरती है, किंतु इस स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है, जिसमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा व जिला कांगड़ा के